पुस्तकालय

(2)
32-97
12/4/13

सत्यमेव जयते

असंशोधित

2 APR 2013

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त),184–डी०टी०पी०–1,500

प्रतिवेदक शाखा
वी०स०प्र०सं० 1044 तिथि 12-4-2013

(- अन्तराल के बाद -)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । विधायी-कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी-कार्य

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा ।

श्री प्रशांत कुमार शाही, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३"

को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३"

को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रशांत कुमार शाही, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

अब मैं विचार का प्रस्ताव लेता हूँ, प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रशांत कुमार शाही, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३"

पर विचार हो ।

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-१२२(१) के तहत माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफूर का इस विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफूर, अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे ।

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, मैं मूभ करूँगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०१३"

के सिद्धांत पर विमर्श हेतु निम्नलिखित संशोधन की सूचना देता हूँ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १२२ के अंतर्गत विधेयक के सिद्धांत एवं उसके सामान्य उपबंधों पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : और कुछ बोलना चाहते हैं, माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफूर जी, क्या आप कुछ और बोलना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, कई बार बिहार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर संशोधन किया गया, सरकार ने अपने विधेयक के उद्धेश्य में दिया कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षक की नियुक्ति, इसके पहले जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन थी, उसको सरकार ने खत्म कर दिया, यूनिवर्सिटी को अधिकार दिया और यूनिवर्सिटी में भी अनियमितता हुई, फिर यूनिवर्सिटी कमीशन को ....

अध्यक्ष : यह सिद्धांत पर हो रहा है, किसी अनुच्छेद पर नहीं हो रहा है । आप सिद्धांत पर बोलिए ।

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, यही मेरा कहना है कि सरकार जो विधेयक ला रही है कि हम बी०पी०एस०सी० को देंगे और बिहार राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन में दो ही सदस्य हैं, आप कैसे इसको नियुक्ति कीजियेगा ऐसे विश्वविद्यालय में, विभिन्न महाविद्यालयों में । शिक्षकों की बेहद कमी है, सरकार इसमें उदासीन है और कोई प्रस्ताव आया और उसके जल्दीबाजी में दे दिया गया, इसका नतीजा क्या हुआ ? सरकार इसपर गंभीर नहीं है । यही मेरा कहना है ।

अध्यक्ष : विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श के बाद जनमत जानने का प्रस्ताव है, माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है, क्या माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह जी, अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री दुर्गा प्रसाद सिंह : महोदय, मैं मूभ करूँगा, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

"कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३ दिनांक ३१ जुलाई, २०१३ तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

महोदय, मैं इसके पक्ष में कहना चाहता हूँ कि यह जो विधेयक लाया गया है, यह विधेयक जिस तरीके से बी०पी०एस०सी० के माध्यम से प्राध्यापकों की नियुक्ति की बात इसमें की गयी है, मैं समझता हूँ कि बी०पी०एस०सी० जो बिहार में कार्यरत है, उनके पद, दो ही पद पर लोग हैं और बाकी कितने साल से रिक्त हैं । प्राध्यापक के ५५ प्रतिशत् पद रिक्त हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी जो प्रक्रिया है नियुक्ति की, उसमें काफी विलम्ब भी लगते हैं और प्राध्यापक की नियुक्ति का जो मामला है, वह बड़ा गंभीर है शैक्षणिक दृष्टिकोण से, मैं इस कारण से चाहता हूँ कि जो इसमें यूनिवर्सिटी के लोग हैं या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का मत भी इस मामले में जानना चाहिए क्योंकि इसमें २००९ जो न्यूनतम मानक है यू०जी०सी० से रिलेटेड और उसके विनिमय, उसमें भी चर्चा की गयी है, जो बिहार में अभीतक लागू नहीं है तो जो लागू ही नहीं है बिहार के अन्दर तो उसकी चर्चा इस विधेयक के अन्दर करके मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्थिति जैसी नहीं लग रही है । इसलिए कि यह व्यापक चीज है और राज्य के युवा से, शिक्षा जगत से रिलेटेड चीज है और शिक्षा ही किसी राज्य के विकास का एक बड़ा मापक होता है तो इसके बारे में सरकार को इतनी जल्दीबाजी में मेरे ख्याल में इस रूप में करने की अगर जरूरत भी है तो इसके लिए आम जनता के नॉलेज में लाने के लिए और उनका विचार जानने के लिए आवश्यक मैं समझता हूँ कि इसे परिचारित किया जाय, नहीं तो बाद में पुनः इसमें बहत सारी स्थिति ऐसी आयेगी कि जब सरकार को अपनी स्थिति में परिवर्त्तन

करके फिर से नियम बनाने की जरूरत और संशोधन करने की जरूरत महसूस होगी । क्योंकि यह वर्ष २००९ वाला मानक भी दिया गया है, २०१० का भी दिया गया है यू०जी०सी० से रिलेटेड है, बिहार का अपना भी इसमें कुछ अपना प्रोभीजन किया जा रहा है, यह सभी को जोड़-तोड़ करके करने से हमारे ख्याल से बेहतर ढ़ंग से सोच-समझकर और जनता की, विद्वानों की इस मामले में राय जानकर तब बेहतर ढ़ंग से सरकार लाये तो बार-बार विधान सभा में परेशानी उठाने की जरूरत नहीं होगी । वैसे हम बोलें कुछ भी, सरकार बहुमत में है, पास तो इसे कर ही लेगी और पास करने के बावजूद फिर संशोधन के लिए सरकार आयेगी और जब बहुमत है तो कर लेगी लेकिन जनतंत्र का तकाजा है कि जन-भावना के अनुकूल सरकार चले और जिसमें राज्य की बेहतरी खास करके शिक्षा के मामला में वैसा काम करे और जल्दी और अच्छे ढ़ंग से नियुक्ति हो, इसपर गहनता से सोचे तो इस कारण से हम चाहते हैं कि इसे जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है -

"कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३ दिनांक ३१ जुलाई, २०१३ तक जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफूर के द्वारा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफूर अपना प्रस्ताव मूव करेंगे या वापस लेंगे?

श्री अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३ को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे।"

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य दुर्गा बाबू कह रहे थे उन्हीं बातों को ये किया जा रहा है कि राज्य सरकार एक तरफ इसमें जो विधेयक पेश किया गया है उसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यू०जी०सी० का जो मापदंड है उसके अनुरूप हम शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहते हैं और विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में अच्छे और बासलाहियत टीचरों की नियुक्ति करना चाहती है सरकार, लेकिन हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि यह सरकार एक्सपेरीमेंट पर एक्सपेरीमेंट कर रही है कि कभी इसको देना, कभी ये कमिटी बनाना और फिर एक बी०पी०एस०सी० को जो देने की बात हो रही है तो मात्र यह लगता है कि कोई सोच समझकर के ये निर्णय नहीं लिया गया है और बिहार राज्य उच्च शिक्षा के मामले में ऐसे भी पिछड़ गया है, काफी पीछे चला गया है और बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप इसको प्रवर समिति को सौंपिए और उसका जो विचार आवे उसपर फिर निर्णय लिया जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३ को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे।"

"यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३ पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ। खंड-२ में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-२ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-२ इस विधेयक का अंग बना।

खंड-३ में एक सशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार राय, अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री अवधेश कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि विधेयक के खंड-३ के उपखंड-(क) में प्रस्तावित संशोधन के शब्द "महाविद्यालयों" एवं शब्द "में" के बीच शब्द "संबद्ध महाविद्यालयों" अंतःस्थापित किया जाए।"

महोदय, आप जानते हैं कि जो बिल लाया गया है- शिक्षक की नियुक्ति के लिए और राज्य में बड़े पैमाने पर संबद्ध विद्यालय हैं और उसमें ज्यादातर गरीब के बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ते हैं और उन विद्यालयों में भी शिक्षक का बहुत बड़ा अभाव है, लेकिन उसके लिए सरकार दूसरी इसमें प्रावधान किया है, वह चयन समिति का गठन करेगी। जब आप इस विद्यालय के लिए, अंगीभूत विद्यालय के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से चयन की प्रक्रिया रखे हैं तब इससे अलग चयन समिति का गठन करना सरकार की नियत में खोट है इस संबंध में यह मैं समझता हूँ। दोयम दर्जे का वो संबद्ध विद्यालय को मानती है और गरीबों का बच्चा जहां से पढ़कर निकलेगा उस विद्यालय के लिए अलग से समिति का गठन करना तो यह उचित नहीं है महोदय। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि आप इसको संशोधित कीजिए और बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए ही संबद्ध महाविद्यालय को भी आपको शिक्षक की नियुक्ति का कार्यक्रम चलाना चाहिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक के खंड-३ के उपखंड-(क) में प्रस्तावित संशोधन के शब्द "महाविद्यालयों" एवं शब्द "में" के बीच शब्द "संबद्ध महाविद्यालयों" अंतःस्थापित किया जाए।"

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-३ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-३ इस विधेयक का अंग बना।

खंड-४ में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-४ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-४ इस विधेयक का अंग बना।

खंड-५ में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार राय, अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री अवधेश कुमार राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि विधेयक के खंड-५ को विलोपित किया जाय।"

वहीं महोदय, यह सरकार समानता के साथ विकास पर विश्वास रखती है और कहती है, लेकिन वस्तुतः गांव के गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग ये दो तरह की नीतियां चलाती है, ये परिलक्षित हो रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इसको विलोपित करते हुए और जिस तरह से विश्वविद्यालय जो अंगीभूत विश्वविद्यालय के लिए चयन की प्रक्रिया अपनायी गयी है वही प्रक्रिया अपनायी जाय।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि विधेयक के खंड-५ को विलोपित किया जाय।
यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि :

खंड-५ इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड-५ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : खंड-६ एवं ७ में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

खंड-६ एवं ७ इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड-६ एवं ७ इस विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि :

खंड-१ इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड-१ इस विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि :

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

प्रश्न यह है कि :

नाम इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
नाम इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री पी०के०शाही,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१३ स्वीकृत हो।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,ने०वि०द० : महोदय, मैं राज्य सरकार के द्वारा जो स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ। महोदय, इस वजह से भी कि मुझको लगता है कि सरकार सत्ता के बहुमत में इतना मदान्ध है कि कानून का एक तरह से धज्जियां उड़ा रही है और जब मन में करता है कोई कानून बनाना, संशोधन देना फिर ड्रॉप करना, फिर लाना। महोदय, चूंकि अभी जो विधेयक आया है इसमें सिर्फ एक काम के लिए इन्होंने लाया है कि जो एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से करायी जायेगी, क्या माननीय मंत्री जी, संभवतः यही है। अब महोदय, २००७ में ये विधान सभा की प्रोसिडिंग है- राज्य सरकार ने बिहार कॉलेज सर्विस कमीशन को, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को समाप्त करने का एक विधेयक लाया और यह कहा कि साहब ये तो बेकार की चीजें हैं, यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में जल्द बहाली हो जायेगी तो उस वक्त भी बहुमत था तो वो युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन भी भंग हो गया और कॉलेज सर्विस कमीशन भी भंग हो गया। फिर यही सरकार ने २०११ में फिर प्रस्ताव ले आयी कि युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को बहाल किया जाय।

क्रमशः....................

क्रमश:

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता प्रतिपक्ष: और यह पास भी हो गया बहुमत से ध्वनि मत से कि युनिवर्सिटी जो हमलोगों ने युनिवर्सिटी को दिया था बहाली कराने का युनिवर्सिटी सक्ससेफुल नहीं हो सका और बहुत तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने लगीं इसलिए युनिवर्सिटी कमीशन को पुर्नजीवित किया जाता है और यह प्रस्ताव बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग जो है 2011 पारित हुआ । मेरे कहने का मतलब कि युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का जो मूल उदेश्य है कि जो अंगीभूत महाविद्यालय है और जहां युनिवर्सिटी में कॉलेज में जहां लेक्चरर का एसोसियेट लेक्चरर का पोस्ट खाली है उसको युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन भरेगा और युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के मेम्बर वे लोग होंगे जो लब्धप्रतिष्ठित शिक्षाविद् होंगे। अब इन्होंने अब प्रस्ताव लाया है कि युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से चयन कराने की आवश्यकता नहीं है अब जो है चयन जो है लोक सेवा आयोग ही कर देगा । महोदय, मैं अब फिर बार बार यह उधृत भी नहीं करना चाहता और मैं जानता हूं कि जिस सरकार को लोक लाज रहता है उसे कुछ असर भी होता है । मैंने पहले भी कहा था कर्पूरी ठाकुर ने इसी हाउस में कहा था कि युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का जो दायित्व है वह दायित्व करने दीजिये । जो लोक सेवा आयोग का दायित्व है वह लोक सेवा आयोग को करने दीजिये । लोक सेवा आयोग और युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन इतना ही करता है कि वह चयन कर अपनी अनुशंसा करके सरकार को या युनिवर्सिटी को भेजता है । और युनिवर्सिटी नियुक्ति करती है । नियुक्ति करने का जो पावर युनिवर्सिटी को है वह अक्षुण रहे और जो चयन करने का अधिकार युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को या लोक सेवा आयोग को जो है वह बरकरार रहे । अब मुझको लगता है कि मंत्री जी की मंशा होगी कि अभी युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन संभवत: गठित विधिवत गठित नहीं करा सके हैं बिल ये 2011 में हो सकता है पास करा लिये हों अभी तक गठित नहीं हो सका हो तो ये इस वजह से चाहते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया जाय । अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय । बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी मात्र दो मेम्बर बचे हैं । एक मेम्बर है अध्यक्ष साहा साहब और दुसरे मेम्बर बचे हैं श्री राजवर्द्धन शर्मा जी । दो मेम्बर वाली कमिटी सारे

टर्न-15/ 02.04.13 विजय ।

युनिवर्सिटी का एसोसियेट प्रोफेसर का चयन करके भेजेगी तो मुझको मंशा पर जरूर शंका होती है । मैं कहूंगा कि युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन अगर आपने पूर्णत गठित नहीं किया है चूंकि आपको बी0पी0एस0सी0 भी गठित करना पड़ेगा । और इसमें जो हैं अभी दोनों एक तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी हैं साहा साहब भी चेयरमैन प्रशासनिक पदाधिकारी और राजबर्द्धन शर्मा जी भी प्रशासनिक पदाधिकारी । एक पुलिस सेवा से आये और एक प्रशासनिक सेवा से आये । तो महोदय विश्वविद्यालय और अंगीभूत विद्यालय के लेक्चररों की बहाली भी अगर बी0पी0एस0सी0 करता है तो सरकार को फिर एक प्रस्ताव ले आना चाहिए कि युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की आवश्यकता नहीं है इसको फिर से भंग किया जाता है । इसलिए फिर मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का जो अधिकार है वह अक्षुण रहे । युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बहाली कर सकता है यू0जी0सी0 के मापदंड के अनुसार । जैसे बी0पी0एस0सी0 करेगा वैसे ही युनिवर्सिटी सर्विस कमीशन कर सकता है इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि आप शिक्षाविद् के बीच क्यों अनपोपुलर होना चाहते हैं । आप दो आदमी के बी0पी0एस0सी0 से कैसे पूरे टीचरों की बहाली करना चाहते हैं इसलिए इसको स्वीकृत नहीं करना चाहिए ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री पी0के0शाही,मंत्री: महोदय, नेता प्रतिपक्ष को एक मैं अपनी बात कहने के पहले एक मैं करेक्शन करा दूं इस बिल के माध्यम से नियुक्ति सहायक प्राध्यापक यानि असिसटेंट प्रोफेसर के आपने एसोशिएट कहा है । एसोसिएट हो गया सह प्राध्यापक । असिसटेंट प्रोफेसर के पद पर किये जाने का प्रस्ताव है महोदय । महोदय यह सही है कि पूर्व में नियुक्तियों के लिए दो आयोग गठित है एक कंस्टीच्युंट कॉलेजों में नियुक्तियों के लिए और दूसरा एफलियेटेड कॉलेजों में नियुक्तियों के लिए । महोदय, उन दोनों आयोगों के द्वारा पूर्व में नियुक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया के उपरांत अनुशंसाये की गयी थी दुर्भाग्यवश जब भी चयन की प्रक्रिया अपनायी गयी यह हो सकता है कि यह उस कार्यकाल की विशेषता थी वह कंट्रोवर्सीज में ही एडमायर्ड रही और तमाम आरोप जिसकी जांच आज भी निगरानी अन्वेषण ब्युरो के द्वारा किया जा रहा है । वह जांच प्रक्रिया के अंतर्गत रही और उसके बाद तो वहां चयन की प्रक्रिया ठप

टर्न-15/ 02.04.13 विजय । ...

हो गयी । जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ तो इस सरकार का यह अभिमत हुआ कि विश्वविद्यालयों की स्वायतता होनी चाहिए और आयोगों के द्वारा चयन किये जाने में विभिनन प्रकार के आरोपों के अतिरिक्त उनके द्वारा चयन में विलंब को देखते हुए 2007 में दोनों आयोगों के कानून को रीपील करते हुए और चयन का अधिकार विश्वविद्यालयों में ही निहित किया गया महोदय । यह कल्पना थी विश्वविद्यालयों के द्वारा सुचारूरूप से और बेहतर ढंग से चयन की प्रकिया अपनायी जायेगी क्योंकि विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यो के लिए बेहतर ढंग से कर्त्तव्य और दायित्वों का निर्वहन कर सकेगा । परंतु महोदय मैं स्वीकार करता हूं वह प्रयोग सफल नहीं हो पाया असफल हुआ । और जिस कल्पना को घ्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों को यह कर्त्तव्य और दायित्व दिया गया था वह पूर्ण करने में सभी विश्वविद्यालय असफल रहे और नियुक्तियों के लिए विश्वविद्यालयों ने चयन नहीं किया । उस कठिनाई के निराकरण के लिए 2011 में आयोग को एक दूसरे स्वरूप में 2007 के पहले जो आयोग था उसके अलग एक स्वरूप में 2011 में विधान मंडल से आयोग के गठन का बिल पारित कराया गया परंतु महोदय दुर्भाग्य से उस बिल को आज तक महामहिम राज्यपाल के द्वारा एसेंट नहीं दिया गया इसलिए वह कानून नहीं बन पाया महोदय । और माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि पहले उसको रीपील करना होगा और आयोग क्यों नहीं बना । तो मैं आपके माघ्यम से उन्हें और सदन को बतलाना चाहता हूं कि 2011 में विधान मंडल से पारित आयोग के गठन का बिल आजतक महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है इसलिए वह कानून की शक्ल अख्तियार ही नहीं कर पाया महोदय । महोदय कानून कोई स्टैटिक वस्तु नहीं है यह डायनेमिक है ।

कमशः

टर्न-16 दिनांक 02.01.2013

165

अशोक

श्री पी.के. शाही , मंत्री : क्रमशः समय, आवश्यकता, लोक हित को घ्यान में रखते हुये कानून बनाये जाते हैं, संशोधन किये जाते है अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का संविधान, जिस संविधान को बनाने में देश के सर्वश्रेष्ठ जो अपने अपने क्षेत्र के लोग थे चाहे डा0 भीम राव अम्बेडकर हों, डा0 राजेन्द्र प्रसाद हों ऐसे विद्वान लोगों ने दुनिया के सभी प्रजातंत्र के संविधान के अध्ययन के उपरान्त संविधान बनाया और आज संविधान में एक सौ से ज्यादा संशोधन की आवश्यकता पड़ी। ऐसा नहीं है महोदय कि कानून बना दिया जाय तो चिरस्थाई हो- कानून बनते हैं, जरूरतों के हिसाब से संशोधन किया जाता हैं, समाज की आवश्यकता को घ्यान में रखकर इसमें परिवर्त्तन की आवश्यकता महसूस होती है इसलिए समय समय पर संशोधन किया जाता हैं । आज के बिल की पृष्ठभूमि बताई महोदय, 2007 के पहले की स्थिति, 2007 के बाद की स्थिति, पुनः 2011 में जब विधान मंडल से बिल पारित हुआ इसके बाद की स्थिति, ऐसी परिस्थिति में राज्य के विश्वविद्यालयों में लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं और सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति की नितान्त आवश्यकता है महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के महौल में में निराशा व्याप्त है कई कारणों से, इसमें एक कारण शिक्षकों के पदों का रिक्त होना भी है, महोदय, सारे पहलूओं पर विचार करने के उपरान्त जिन कठिनाइयों का मैंने वर्णन किया है उसको घ्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने यह तय किया कि त्वरित गति से चयन करने के लिए यह दायित्व सम्बद्ध विद्यालयों और कंस्टीच्यूऐंट कॉलेजों और एफिलियेटेड कॉलेज में अलग अलग व्यवस्था के तहत अलग-अलग ढंग से किया जाय, कंस्टीच्यूऐंट कॉलेजों में असिसटेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चयन का दायित्व बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपा जाय एवं एफिलियेटेड कॉलेजेज में असिसटेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए दायित्व जो बिल में है(व्यवधान) बिल में है, आपने पढ़ा नहीं है, मैं आपका घ्यान आकृष्ट करना चाहूंगा 57(ख) कृपया देख लें एक बार, वह सम्बद्ध महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का अध्यक्ष महाविद्यालय के शासीनिकाय का अध्यक्ष अथवा शासीनिकाया द्वारा नामित व्यक्ति , महाविद्यालय का प्रधानाचार्य ,महाविद्यालय में सम्बद्ध विषय के विभागाघ्यक्ष, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से नामित तीन विशेषज्ञ जो प्राचार्य से अन्यून श्रेणी के होंगे ,महाविद्यालय के शासीनिकाय के द्वारा ऐसे दो विषय के विशेषज्ञों को नामित किया जा सकेगा

टर्न-16 दिनांक 02.01.2013 .. 166

अशोक

जो इस महाविद्यालय से जुड़े नहीं हों, विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिला पृथक तौर से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का सदस्य चयन समिति में उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय जो उस कोटि का एक एकाडिमिशियन होगा को नामित करेगी । इस प्रकार यह समिति महोदय, सम्बद्ध विद्यालयों में चयन का कार्य करेगी- इसे कर उन्हें दायित्व सौपा जा रहा है । जहां तक कंस्टीच्यूऐंट कॉलेज का प्रश्न है वह बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जायेगा और इसमें दोनों ही कोटि के महाविद्यालयों में असिसटेंट प्रोफेसर के पद पर अर्हता निर्धारित की जा रही है जो यू.जी.ए. के रेगुलेशन के अनुसार " नेट" क्वालिफायड नेशनल एजीब्लीटी टेस्ट क्वालिफायड हो वही आवेदक हो सकेंग, इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. रेगुलेशन के अनुसार जो एफ.फील., पी.एच. डी. हों उन्हें नेट क्वालिफिकेशन से एगजम्पशन दिया जा रहा है चूकि यू.जी. सी. रेगुलेशन में इस प्रकार का ही प्रावधान किया गया है जो 2009 के रेगुलेशन के अनुसार एम.फील. के अभ्यर्थी हो या पी.एच.डी. किये हुये के अभ्यर्थी हों उन्हें नेट क्वालिफॉयड होने की बाघ्यता नहीं है और ऐसे ही अभ्यर्थियों के बीच से बिहार लोक सेवा आयोग चयन का कार्य करेगा और उस चयन के उपरान्त वह अनुशंसा एक पद के विरूद्ध एक व्यक्ति का अनुशंसा करेगा और उस अनुशंसित सूची से ही विश्वविद्यालयों के द्वारा उस पद पर नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है । महोदय, जहां तक नेता, प्रतिपक्ष ने कहा बिहार लोक सेवा आयोग में मात्र दो सदस्य हैं, चेयरमैन एवं एक सदस्य- यह एक निरंतर प्रक्रिया है, रिटायर होते हैं , फिर नियुक्त होते हैं, 22 मार्च को दो सदस्य वहां से रिटायर हुये हैं तो उस निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्तियां होती है, सेवा निवृत्ति होती है, उम्र निर्धारित है बिहार लोक सेवा आयोग में, जो सदस्य नियुक्त होते हैं सेवा निवृत्ति की अवस्था प्राप्त होने पर सेवा निवृत्त होते हैं । 22 मार्च को सेवा निवृत्ति हुये, सरकार उन रिक्तियों को भरेगी और उनकी आशंका निर्मूल है कि वहां दो- एक अध्यक्ष और एक सदस्य हैं, इस कारण नियुक्तियां प्रभावित होंगी । महोदय त्वरित गति से चयन हो और चयन योग्य अभ्यिर्थियों का हों और जिन्हें यू.जी.सी., विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप जिनकी अर्हता हो, उनके बीच से ही नियुक्ति हो इसलिए यह संशोधन लाया जा रहा है महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि इसे सदन पारित करने की कृपा करे ।

टर्न-16 दिनांक 02.01.2013 ... 167

अशोक

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशेधन) विधेयक, 2013" स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशेधन)विधेयक, 2013" स्वीकृत हुआ।

"पटना विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2013"

अध्यक्ष : अब "पटना विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2013" । प्रभारी शिक्षा मंत्री ।

श्री पी.के.शाही, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"पटना विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2013" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"पटना विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2013" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री पी.के.शाही, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

अब मैं विचार का प्रस्ताव लेता हूँ । प्रभारी मंत्री ।

श्री पी.के.शाही, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"पटना विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2013" पर विचार हो ।

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफ्फूर का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतः सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफ्फूर अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे ।

श्री अब्दुल गफ्फूर : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"पटना विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2013" के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।